बिहार विधान परिषद

(203 बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

31 मार्च 2023

[**शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी**].

Total Short Notice Question- 6

समंजन पर विचार

***146 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि नियोजित महिला शिक्षिका का मातृत्व अवकाश विशेषाधिकार है;

(ख) क्या यह सही है कि हड़ताल अवधि में नियोजित महिला शिक्षकों के मातृत्व अवकाश अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि नियमित शिक्षकों के हड़ताल अवधि का समंजन अर्जित अवकाश से करने का प्रावधान है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित महिला शिक्षकों के हड़ताल अवधि का समंजन अर्जित अवकाश से करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

निगरानी करने के संबंध में

***147 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार कोचिंग एक्ट के प्रावधानानुसार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा संसूचित अध्यापन अवधि के दरम्यान कोचिंग संस्था का संचालन नहीं किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेवार अधिकारियों द्वारा सही रूप से दायित्व निर्वहन नहीं किये जाने के कारण ही विद्यालयों में छात्रोपस्थिति कम होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त निगरानी तंत्र को और सक्रिय करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

\----

सेवा समंजन पर विचार

***148 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दिनांक – 10.02.1989 तक नियुक्त एवं कार्यरत तदर्थ व्याख्याताओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील सं. – 1601-1602/2004 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक – 14.07.2017 को सरकार के द्वारा तदर्थ व्याख्याताओं के सेवा के समंजन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उच्चस्तरीय समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन सितम्बर, 2020 में ही शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को समर्पित कर दिया है, किन्तु अबतक सरकार के स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई लंबित है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तदर्थ व्याख्याताओं की सेवा का समंजन कबतक करना चाहती है?

\----

बकाया वेतन देने पर विचार

***149 श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत मध्य विद्यालय, इमादपुर, बिहारशरीफ में नियोजित शिक्षक अमित कुमार साह ने अपना योगदान दिनांक – 28.02.2022 को दिया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षक की मृत्यु दिनांक – 13 दिसम्बर 2022 को स्वास्थ्य लाभ के अवकाश में रहने के दौरान हो गई है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षक की कार्य अवधि का वेतन भुगतान फरवरी 2023 तक नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृतक शिक्षक का बकाया वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भवन निर्माण

*150 **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि मुंगेर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु जमीन चिन्हित की गई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड ‘क’ का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुंगेर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का अधिग्रहण यथाशीघ्र करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रधानाध्यापिका पर कार्रवाई

*151 **प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या **शिक्षा** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगेः-

(क) क्या यह सही है कि डॉ. गुलाम बारी, सहायक शिक्षक, रामलाल उच्च विद्यालय, खपुरा, नगरनौसा, जिला – नालंदा, दिनांक – 10.05.2022 से चिकित्सा अवकाश पर थे एवं दिनांक – 10.08.2022 को चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाणपत्र के साथ विद्यालय में योगदान देने गये;

(ख) क्या यह सही है कि वर्तमान प्र. प्रधानाध्यापिका सुश्री पिंकी कुमारी ने योगदान नहीं कराया, न ही उपस्थिति अंकित करने दिया;

(ग) क्या यह सही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नगरनौसा के पत्रांक – 214, दिनांक – 29.08.2022 द्वारा दिनांक – 10.08.2022 से उपस्थिति दर्ज करने संबंधी आदेश दिया गया, पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक – 1700, दिनांक – 08.09.2022 एवं पत्रांक – 1784, दिनांक – 17.09.2022 द्वारा इन्हें विद्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया लेकिन प्र. प्रधानाध्यापिका द्वारा योगदान नहीं कराया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में अंकित शिक्षक को यथाशीघ्र योगदान कराते हुए अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापिका को निलंबित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?